



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, सोमवार, 16 अगस्त, 2021

श्रावण 25, 1943 शक सम्वत्

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN,
ASHOKA ROAD,
NEW DELHI-110001

13th August, 2021

Dated : _____
22 Shrawana, 1943 (Saka).

NOTIFICATION

No. 434/UP-LA/2021(1) :- IN exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of the Representation of People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby, makes the amendments in its Notification no. 434/UP-LA/2021(1), dated 2nd July, 2021, relating to appointment of Assistant Returning Officers of Assembly Constituency in the State of Uttar Pradesh;

In column (2) of the Table appended to the said Notification, the existing entries shown against the Assembly Constituencies mentioned in column (1) of the Table, shall be *substituted* with the following entries :-

TABLE

S. No. & Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officers
1	2
180-Raebareli	2-Block Development Officer, Rahi
320-Caimpiyarganj	3-Consolidation Officer, Caimpiyarganj

By order,
AJAY KUMAR,
Secretary,
Election Commission of India.

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA,
Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन,
अशोक रोड,
नई दिल्ली-110001

दिनांक: 13 अगस्त, 2021
22 श्रावण, 1943 (शक)

अधिसूचना

सं० 434/उ०प्र०-वि०स०/2021(1) :- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा, उत्तर प्रदेश राज्य के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के सहायक रिटर्निंग आफिसर की नियुक्ति से संबंधित, अपनी अधिसूचना संख्या 434/उ०प्र०-वि०स०/2021(1), दिनांक 2 जुलाई, 2021 में संशोधन करता है;

उक्त अधिसूचना की संलग्न सारणी के स्तम्भ (1) में दिये गये निर्वाचन क्षेत्रों के सामने सारणी के स्तम्भ (2) में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जायेंगी :-

सारणी

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम	सहायक रिटर्निंग आफिसर
1	2
180-रायबरेली	2-खण्ड विकास अधिकारी, राही
320-कैम्पियरगंज	3-चकबन्दी अधिकारी, कैम्पियरगंज

आदेश से,
अजय कुमार,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव।